भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 238
19 जुलाई, 2022 को उत्तरार्थ

विषय: कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य

238. डॉ. उमेश जी. जाधव:
श्री प्रताप सिम्हा:
डॉ. जयसिद्धेश्वर शिवाचार्य स्वामीजी:
श्री बी. वाई. राघवेंद्र:
श्री कराडी सनगन्ना अमरप्पा:
श्री एस. मुनिस्वामी:
श्री एस. ज्ञानतिरावियम:
श्री अण्णासाहेब शंकर जोल्ले:
श्री डी. एम. कथीर आनन्द:

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ऐसे कृषि उत्पादों की कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु सहित राज्य-वार सूची क्या है, जिनके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) प्रदान किया गया है और किन कृषि उत्पादों लिए एमएसपी प्रदान नहीं किया गया है;

(ख) सरकार द्वारा सभी कृषि उत्पादों हेतु एमएसपी तय करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) क्या सरकार के पास यह सुनिश्चित करने के लिए कोई निगरानी तंत्र है कि किसानों को उनकी उपज का सही एमएसपी मिले और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री
(श्री नरेंद्र सिंह तोमर)

(क) और (ख) सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर और संबंधित राज्य सरकारों एवं केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के मंतव्यों तथा अन्य संगत कारकों पर विचार करने के पश्चात 22 अधिदेशित कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और गन्ने के लिए उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) का निर्धारण करती है। तोरिया और छिलके रहित नारियल के एमएसपी भी क्रमश: रेपसीड/सरसों और कोपरा के एमएसपी के आधार पर घोषित किए जाते हैं। एमएसपी का निर्धारण संपूर्ण देश के लिए किया जाता है न कि क्षेत्र अथवा राज्य विशिष्ट

के लिए किया जाता है। 2021 और 2022 के लिए फसलों के एमएसपी के ब्यौरे **अनुबंध** में दिए गये हैं।

एमएसपी तंत्र के तहत फसलों को शामिल करना कई कारकों पर निर्भर है जिसमें अन्य कारकों के साथ व्यापक रूप से उगाया जाना, बड़े पैमाने पर खपत, अपेक्षाकृत लंबे समय तक खराब नहीं होना शामिल है। सरकार समय-समय पर नई फसलों को एमएसपी के दायरे में शामिल करते समय उपर्युक्त कारकों का परीक्षण करती है।

(ग) फसलों की खरीद उत्पादन और अन्य कारको जैसे विपणन योग्य अधिशेष, एमएसपी, प्रचलित बाजार दरें, मांग और आपूर्ति की स्थिति और निजी व्यापारियों की भागीदारी इत्यादि पर निर्भर करती है। सरकार भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और राज्य ऐजेंसियों के माध्यम से धान और गेहूँ के लिए मूल्य समर्थन का विस्तार करती है। मोटे अनाजों की खरीद एमएसपी पर राज्य सरकारों द्वारा केंद्र सरकार के अनुमोदन के पश्चात तब की जाती है, यदि वे पीडीएस के तहत इसके वितरण हेतु अनुमति देते हैं।

इसके अतिरिक्त, तिलहन, दलहन और उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) के कोपरा की खरीद, पीएम-आशा समग्र योजना के तहत मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत एमएसपी पर इसके विनिर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार, संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से पंजीकृत किसानों से की जाती है । हालांकि यदि किसान एमएसपी की तुलना में बेहतर कीमतें प्राप्त करता है तब वे अपने उत्पाद को खुले बाजार में बेचने के लिए स्वतंत्र है।

अनुबंध

दिनांक 19.07.2022 को देय लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 238 के उत्तर के भाग (क) और (ख) में उल्लिखत अनुबंध

न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)

(प्रति क्विंटल)

क्र.सं.	जिन्स	किस्म	2021-22	2022-23
	खरीफ फसलें			
1	**धान**	सामान्य	1940	2040
		ग्रेड'ए'	1960	2060
2	**ज्वार**	हाईब्रिड	2738	2970
		मालदंडी	2758	2990
3	**बाजरा**		2250	2350
4	**रागी**		3377	3578
5	**मक्क**		1870	1962
6	**तूर (अरहर)**		6300	6600
7	**मूंग**		7275	7755
8	**उड़द**		6300	6600
9	**मूंगफली**		5550	5850
10	**सूरजमुखी**		6015	6400
11	**सोयाबीन (पीला)**		3950	4300
12	**तिल**		7307	7830
13	**रामतिल**		6930	7287
14	**कपास**	मध्यम रेशा	5726	6080
		लंबा रेशा	6025	6380
	रबी फसलें			
15	**गेहूँ**		2015	
16	**जौ**		1635	
17	**चना**		5230	
18	**मसूर (लेंटिल)**		5500	
19	**रेपसीड और सरसों**		5050	
20	**कुसुम्भ**		5441	
21	**तोरिया**		5050	
	अन्य फसलें			
22	**कोपरा**	मिलिंग	10335	10590
		बॉल	10600	11000
23	**छिलका रहित नारियल**		2800	2860
24	**पटसन**		4500	4750
25	**गन्ना $**		290	

$ उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी)

नोट: 2022 के लिए रबी फसलों के लिए एमएसपी और गन्ने हेतु एफआरपी अभी निर्धारित किया जाना है।

*****